न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 331 / 2025   दायर दिनांकः 08.12.2025

उनवान

1. ग्राम पंचायत डोला जरिये ग्राम विकास अधिकारी डोला पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार तहसील पिड़ावा

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
प्रार्थी — स्वयं
अप्राथी सं. 1 — पैरोकार सरकार

आदेश   दिनांक : 30.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरदा पटवार हल्का बोरदा तह. पिड़ावा की आराजी खाता संख्या नया 300 में दर्ज खसरा न. 617 / 65 रकबा 0.3794 हे० तथा खसरा नं. 659 / 65 रकबा 0.5050 है। गैर मुमकिन आबादी प्रार्थी ग्राम पंचायत डोला के नाम खातेदारी में दर्ज है। नकल जनाबंदी सम्वत 2072—75 पेश है। यह कि प्रार्थनापत्र के पेरा नं. 1 में दर्ज आराजी खसरा नं. 65 दर्ज चारागाह में से आबादी में दर्ज हुई है। खसरा न 65 का नक्शा किश्तवार प्रस्तुत है। यह कि राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के दौरान उक्त गैर मुमकिन आबांदी में दर्ज आराजी का कुछ हिस्सा पूर्व दिशा का गलत तरमीम कर नक्शे में चारागाह भूमि व पड़ोसी खेत खसरा में दर्ज कर दिया जो राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के दौरान हुई त्रुटि है जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि ग्राम वासीयों द्वारा ग्राम पंचायत से पट्टे के लिए आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

करने पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त गलत इन्द्राज तरमीम होने की जानकारी देने पर माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर उचित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बोरदा पटवार हल्का बोरदा तह. पिडावा की आराजी खाता संख्या नया 300 में दर्ज खसरा नं. 617/65 रकबा 0.3794 हे० तथा खसरा नं. 659/65 रकबा 0.5059 हे० उक्तानुसार इन्द्राज में दुरूस्ती तथा राजस्व रेकार्ड नवों में दुरुस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरनावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी के पक्ष में हो प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 02.01.2026 को जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 1 में वर्णित तथ्य मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 2 में वर्णित तथ्य प्राप्त पटवार हल्का रिर्पोट मय रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है। यह कि प्रार्थना मन्त्र के चरण कमांक 3 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप स्वीकार है। वर्णित तथ्य खसरा नम्बर 64 के खातेदारान का प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया हैं लेकिन खसरा नम्बर 64 के खातेदार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार सयोजित नही किया गया है। जो एक आवश्यक पक्षकार प्रतीत होता है. खुसरा नम्बर 64 के खातेदार को बिना सुनवाई कर त्रुटी का इन्द्राज दुरस्त करना न्याय विपरीत प्रतीत होगा इसलिए खसरा नम्बर 64 के खातेदारान को प्रार्थना पत्र में संयोजित कर रेकार्ड दुरस्त किया जावे। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 4 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 5 कानुनी है। अतः जवाब में चाहा गया अनुतोष काबिल दुरस्ती होने एवं खसरा नं. 64 के खातेदार को समुचित अवसर प्रदान कर रेकार्ड में हो रही त्रुटी को दुरस्त माननीय न्यायालय उचित न्यायोचित आदेश प्रदान कर अप्रार्थी [illegible] तहसीलदार पिडावा हेतु अग्रीम आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम बोरदा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 300, खसरा नक्शा दिनांक 05.12.2025, खसरा गिरदावरी सं. 2081–82 एवं लटठा नक्शा ट्रेस पेश किया।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में पटवारी हल्का बोरदा की रिपोर्ट, जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 300, नामा.सं. 50 दिनांक 16.12.1975, नामा.सं. 920 दिनांक 17.05.2017, नामा.सं. 457 दिनांक 30.08.2008 पेश किया।

5. प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बोरदा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 617/65 रकबा 0.3794 हे० तथा खसरा नं. 659/65 रकबा 0.5050 है. किस्म गैर मुमकिन आबादी प्रार्थी ग्राम पंचायत डोला के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त आबादी भूमि मूल ख.नं. 65 किस्म चरागाह में से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन आदेश से नामा.सं. 50 दिनांक 16.12.1975 एवं नामा.सं. 457 दिनांक 30.08.2008 से स्वीकृत होकर ग्राम पंचायत के खाते दर्ज हुई थी। आबादी हेतु आवंटित उक्त भूमि का राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय गलत दिशा में ख.नं. 64 की भूमि में तरमीम कर दी गई। अतः उक्त तरमीम को दुरूस्त किया जावे।

6. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि ख.नं. 617/65 व 659/65 की लटठा नक्शा में तरमीम नहीं हो रखी है। सेग्रिगेशन के दौरान मौका स्थिति के आधार पर आनलाईन नक्शे में तरमीम कर दी गई। ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि ख.नं. 617/65 व 659/65 भूमि के लगवा ओकारलाल मेघवाल के वारीसान की भूमि ख.नं. 64 स्थित है। ख.नं. 64 के खातेदारो ने उक्त आबादी भूमि के अधिकांश पूर्वी भाग पर अवैध रूप से कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कर रखा है। उक्त आबादी भूमि के शेष पश्चिमी हिस्से पर ग्राम बोरदा की एससी बस्ती बसी हुई है। मूल ख.नं. 65 किस्म चरागाह के पूर्वी भाग पर कई लोगो द्वारा विगत 10–15 सालो से अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण कर रखे है। ख.नं. 64 के खातेदारो को प्रकरण में जान बूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी ग्राम पंचायत उक्त आबादी भूमि से अतिक्रमियों को हटाने के बजाय चरागाह भूमि ख.नं. 65 के पूर्वी भाग पर बने अवैध निर्माण को बचाने के लिए राजस्व नक्शे में सही तरमीम को गलत करवाना चाहती है। पेरोकार सरकार द्वारा आगे तर्क किया गया कि ख.नं. 617/65 सन 1975 में हरिजन समाज को मकान निर्माण हेतु आवंटित की गई थी लेकिन वर्तमान में मेघवाल व मेहर समाज के लोगो ने कब्जा कर निर्माण कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

7. प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा पेश ग्राम बोरदा के खाता सं. 300 की जमाबंदी के अनुसार ख.नं. 617/65 रकबा 0.3794 हे० तथा खसरा नं. 659/65 रकबा 0.5050 है. किस्म गैर मुमकिन आबादी प्रार्थी ग्राम पंचायत डोला के नाम खातेदारी में दर्ज है जो मूल ख.नं. 65 किस्म चरागाह में से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटन की जाकर जरिये नामा.सं. 50 दिनांक 16.12.1975, नामा.सं. 457 दिनांक 30.08.2008 एवं नामा.सं. 920 दिनांक 17.05.2017 से प्रार्थी के खाते हुई थी। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम बोरदा के ख.नं. 65 के लटठा नक्शानुसार स्पष्ट है कि लटठा नक्शा में कोई तरमीम नहीं रखी थी। सेग्रिगेशन के दौरान तहसीलदार या अन्य राजस्व कार्मिको द्वारा आनलाईन नक्शे में तरमीम की गई है।

8. प्रार्थी द्वारा ना तो उक्त आबादी भूमि के आवंटन आदेश की प्रति पेश की है और ना ही आवंटन प्रस्ताव के साथ भेजे [illegible] ट्रेस की प्रति पेश की है। आवंटन नामान्तरण सं. 50 व 457 की पंजिका [illegible] पृष्ठ व पुष्ठ दोनो भागो पर कोई नजरी नक्शा नहीं बना हुआ है। [illegible] द्वारा अन्य ऐसा कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:53 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्य भी पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि आनलाईन नक्शे में गलत तरमीम की गई हो। तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट के अनुसार आबादी भूमि ख.नं. 617/65 व 659/65 के पूर्वी भाग पर ख.नं. 64 के खातेदारो द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जबकि चरागाह भूमि ख.नं. 65 के पूर्वी भाग पर कई लोगो द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर रखा है। ख.नं. 617/65 सन 1975 में आवंटित हुई थी जबकि अवैध मकान विगत 10–20 सालो में बनाया जाना प्रतीत होता है।

9. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है **लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की आबादी भूमि के राजस्व नक्शे में, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में, गलत तरमीम होना साबित नहीं होता है।**

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम बोरदा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 617/65 एवं ख.नं. 659/65 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

11. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/03/2026

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner